22/12/25 पत्रा० पेश हुई। मूल वाद पत्र अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जा चुका है। प्रा० पत्र 212 सी० का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः पत्रा० इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।